राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला– बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री मनोज, आर.ए.एस

मुकदमा संख्या 213/2021 **दिनांक:–** 03/01/2023

प्रार्थी		**विप्रार्थी**
1. केसाराम पुत्र उदाराम 2. जोगाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी लापला, कोसरिया तह. बायतु जिला बाड़मेर	बनाम	1. विशनाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी लापला, कोसरिया तह. बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

2 श्री खेताराम जाखड़ अधिवक्ता विप्रार्थी की ओर से

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 469, 467 रकबा क्रमशः 8.1224, 14.8128 हैक्टयर ग्राम लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 726/468 रकबा क्रमशः 3.2684 हैक्टयर ग्राम लापला में से होकर 15 फीट चौडा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर, विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया गया। विप्रार्थी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने पर उनकी ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक बायतु पनजी द्वारा दिनांक 07.09.2021 को मौका स्थल पर हल्का पटवारी, कोसरिया को साथ रखकर तैयार की गई। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 726/468 रकबा 0.0890 हैक्टयर (0.11 बीघा) बनती है। मौका रिपोर्ट व रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसील कार्यालय से प्राप्त रास्ता कायम करने के प्रतिवेदन पर दोनो पक्षों की बहस को सुना गया। प्रार्थीगण वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 469, 467 रकबा क्रमशः 8.1224, 14.8128 हैक्टयर से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते पर से ही होकर मुख्य सड़क तक

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

... आने जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत

पहुंचने हेतु आता जाता रहा है तथा विप्रार्थी द्वारा आवागमन में बाधा [illegible] प्रार्थीगण को विधिनुसार रेकर्ड में रास्ता कायम करने हेतु यह आवेदन पेश [illegible] है, इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी रास्ता [illegible] अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट व नक्शा अनुसार रास्ता कायम [illegible] जाये, प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहश सुनी, उनके कथनों [illegible] मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है, जहां से होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 467 से 469 तक पहुंच सके।

अतः प्रार्थीगणे का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लापला पटवार मण्डल कोसरिया के निम्न खसरान में से होकर खसरा नम्बर 467 से 469 तक पहुंचने हेतु 0.0890 हैक्टयर (0.11 बीघा) का रास्ता कायम किया जाता है :—

नाम ग्राम	खसरा नम्बर जिसमें से रास्ता दिया जाना है।	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा
लापला	726 / 468	0.0890 हैक्टयर (0.11 बीघा)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

खसरा नम्बर 726 / 468 ग्राम लापला की प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. की दर प्रति हैक्टयर 462125 / — रूपये है। उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल.सी. की दर से दुगुना देय होगा। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 0.0890 हैक्टयर (0.11 बीघा) की राशि की गणना करने पर डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि रूपये 82259 / — होती है। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को राशि तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू--अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 82259 / —रूपये का विप्रार्थीगणों को भुगतान करें।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो ।

3/1/2023

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(मनोज)

उपखण्ड अधिकारी, बायतु